वित्तीय स्वीकृति

संख्याः– /XVII-2/20–10(81)2018

प्रेषक,

एल॰फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 फरवरी, 2021

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति पूर्वदशम कक्षा 1 से 8 तक के तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2935/स0क0/अनु0जा0पू0छात्र0/प्रा0धन0अव0/2020–21 दिनांक 03 फरवरी, 2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 तक के तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 की छात्रवृत्ति भुगतान हेतु **₹568.67 लाख (रुपया पांच करोड़ अड़सठ लाख सड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय करते समय वित्त अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या–292/9(150)–2019/XXVII(1)/2020 दिनांक 31 मार्च, 2020 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा–निर्देशों का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
2. संलग्नक में वर्णित धनराशियों का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाये। आवंटन एवं व्यय की स्थिति के साथ–साथ लाभान्वितँ हुये लाभार्थियों की संख्या से प्रत्येक माह शासन को अवगत कराया जाय।
3. अवमुक्त की जा रही धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से लाभार्थियों को प्रदान की जायेगी तथा कोई भी अनियमित भुगतान नहीं किया जायेगा। लाभार्थियों के खातों को आधार से लिंक किया जाय।
4. छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

5. आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलाने में असुविधा न हो।
6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम) आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2021 तक, उपभोग करके वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
8. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–30 में उल्लिखित लेखाशीर्षक 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण, 277–शिक्षा, 16–कक्षा 1 से 10 तक के तथा औ०प्र०संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/कक्षा 1 से 8 तक के तथा औ०प्र०संस्थानों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के मानक मद 45–छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन के नामे डाला जायेगा।
9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–22/09(150)2019/XXVII(1)/2021 दिनांक 07 जनवरी, 2021 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।
(अलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या–S2102030059 दिनांक 26 फरवरी, 2021)

भवदीय,

(एल० फैनई)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः–211/XVII–2/20–10(81)2018 तद्दिनांक
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–
1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–आयुक्त गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
3–समस्त जिलाधिकारी। (द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)
4–निदेशक, कोषगार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
5–समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)
6–वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7–सम्बन्धित प्राधिकृत अधिकारी, एन0आई0सी0 को एन0आई0सी0 पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।
8–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
9–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
25/2/21
(एल० फैनई)
प्रमुख सचिव।